भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2558
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना के रूप में पीएमएफबीवाई

2558. श्री पी. पी. चौधरीः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री दुलू महतोः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री मनोज तिवारीः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्री करण भूषण सिंहः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
सुश्री कंगना रनौतः
श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः
श्रीमती संध्या रायः
श्री राजकुमार चाहरः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है;
(ख) यदि हाँ, तो इसे संभव बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का ब्यौरा क्या है और उक्त कदमों के परिणामस्वरूप, विशेष रूप से राजस्थान राज्य में, इस योजना के अंतर्गत आने वाले किसानों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;
(ग) योजना की शुरुआत से अब तक किसानों द्वारा भुगतान की गई कुल प्रीमियम राशि, मुआवज़ा पाने वाले/दावों का निपटारा करने वाले किसानों की संख्या और पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसानों को संवितरित की गई कुल राशि का राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र के पालघर और जलगाँव जिलों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या पिछली फसल बीमा योजना की तुलना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कोई बड़ा संरचनात्मक/तकनीकी सुधार किया गया है; और
(ङ) यदि हाँ, तो क्या डिजिटलीकरण, त्वरित दावा निपटान, या रिमोट सेंसिंग का उपयोग जैसे प्रमुख नवाचार शुरू किए गए हैं और विशेष रूप से महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, समय पर और पारदर्शी वितरण पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): जी हाँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के आवेदन/जारी पॉलिसियों के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी योजना है। योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए सरकार ने किसान आवेदनों की कवरेज बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने और योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने सहित निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना का प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सर्विस डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए इंडिविजुअल बीमित किसानों के विवरण अपलोड/प्राप्त करने और इंडिविजुअल किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों के एकल स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** का विकास किया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की सख्त निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल चालू किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली

के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सभी दावों का समय पर और पारदर्शी रूप से प्रोसेसिंग सुनिश्चित की जा सके।

- प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्र सरकार के शेयर को राज्य सरकारों के शेयर से अलग कर दिया गया है, ताकि किसानों को केन्द्र सरकार के शेयर से संबंधित आनुपातिक दावे मिल सकें।
- योजना के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रीमियम हिस्से को अग्रिम रूप से जमा करने के लिए एस्क्रो (ESCROW) खाता खोलना खरीफ 2025 सीजन से अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, **CCE-Agri App** के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (CCE) डेटा को कैप्चर करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन को देखने की अनुमति देना, NCIP के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।
- बीमा कंपनी द्वारा दावों के भुगतान में विलंब पर 12% जुर्माने का प्रावधान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर स्वतः गणना किया जाता है।
- सरकार ने किसानों और पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के सदस्यों के बीच पीएमएफबीवाई की प्रमुख विशेषताओं का प्रसार करने के लिए राज्यों, कार्यान्वयन बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) नेटवर्क द्वारा की जा रही जागरूकता गतिविधियों का सक्रिय रूप से समर्थन किया है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ 2021 सीज़न से ही एक स्ट्रक्चर्ड जागरूकता अभियान 'क्रॉप इंश्योरेंस वीक/फसल बीमा सप्ताह' शुरू किया गया है। इसके साथ ही, योजना कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों के ज्ञानवर्धन के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर 'फसल बीमा पाठशालाएँ' भी आयोजित की जा रही हैं।
- सरकार ने देशव्यापी स्तर पर घर-घर फसल बीमा पॉलिसी/रिसीट वितरण महाअभियान- 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' का भी आयोजन किया था। ग्राम पंचायत/गांव स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से PMFBY के अंतर्गत नामांकित किसानों को फसल बीमा पॉलिसी रिसीट की हार्ड कॉपी वितरित की जाती है।

फसल क्षति का वास्तविक मूल्यांकन, नुकसान का आकलन, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों को वर्ष 2023-24 से योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है:

i. **यस-टेक (यील्ड एस्टीमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नालॉजी)** का उद्देश्य उपज का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग आधारित प्रणाली की ओर क्रमिक रूप से स्थानांतरण करना है, जिससे फसल उपज का निष्पक्ष और सटीक आकलन सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज आकलन में यस-टेक से प्राप्त उपज को अनिवार्य रूप से 30% वेटेज दिया जाएगा। खरीफ 2024 से सोयाबीन फसल को भी इस प्रणाली में शामिल किया गया है।

ii. **विंड्स (वेदर इन्फार्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम)** के अंतर्गत स्वचालित मौसम केंद्रों (Automatic Weather Stations-AWS) और स्वचालित वर्षा मापक यंत्रों (Automatic Rain Gauges-ARG) का एक नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है, जो मौजूदा नेटवर्क की तुलना में पाँच गुना अधिक होगा। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पूर्ण रूप से स्थानीय (hyper-local) मौसम डेटा एकत्र करना है। यह डेटा एक राष्ट्रीय डेटाबेस में समाहित किया जाएगा, जिसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ समन्वय में इंटरऑपरेबिलिटी और डेटा साझा करने की व्यवस्था होगी। विंड्स प्रणाली न केवल यस-टेक के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करती है, बल्कि यह सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान, और बेहतर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट की पेशकश के लिए भी उपयोगी है।

सरकार द्वारा की गई उपरोक्त पहलों के कारण, राजस्थान में नामांकित किसान आवेदनों की संख्या वर्ष 2016-17 में 93.56 लाख से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 365.72 लाख हो गई है।

महाराष्ट्र, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कार्यान्वित करने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम, भुगतान किए गए दावों और दावा प्राप्त करने वाले किसान आवेदनों की संख्या का राज्य-वार विवरण, साथ ही महाराष्ट्र के पालघर और जलगाँव जिलों का भी विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

पिछली फसल बीमा योजनाओं के साथ PMFBY की विशेषताओं की तुलना निम्नानुसार है:

विशेषताएँ	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना/पूर्ववर्ती बीमा योजनाएँ	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
रिस्क ट्रांसफर	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में **100** प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर दावा भुगतान राशि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती थी। समय पर बजट उपलब्ध न होने के कारण दावों के भुगतान में अनावश्यक विलंब होता था।	संपूर्ण जोखिम बीमा कंपनी को वहन करना होगा। लेकिन खरीफ **2023** से, **80:110** और **60:130** के अनुपात वाली वैकल्पिक जोखिम हस्तांतरण विधियाँ (ARTM) लागू की गई हैं, जिसके अनुसार यदि नुकसान अनुपात **80** या **60%** से कम है, तो प्रीमियम का एक भाग राज्य सरकार को वापस कर दिया जाता है और **110%** या **130%** से अधिक के दावे सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं।
बीमा यूनिट	पिछली योजना में बीमा यूनिट तहसील/ब्लॉक/जिला थी, जिसके कारण ग्राम पंचायत स्तर पर क्षति होने पर दावा भुगतान अनिश्चित/ठीक से नहीं होता था।	बीमा यूनिट गांव/ग्राम पंचायत को बनाया गया है, जिससे अधिकतम किसानों को वास्तविक नुकसान के आधार पर दावा भुगतान मिल सके।
गैर-ऋणी किसानों को सम्मिलित करना	पिछली योजना में मुख्यतः ऋणी किसानों का बीमा बैंकों के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाता था, गैर ऋणी किसानों का स्वैच्छिक बीमा नगण्य था।	ऋणी एवं गैर-ऋणी दोनों किसानों के लिए बीमा करवाना स्वैच्छिक है तथा योजना में कुल बीमित किसानों में गैर-ऋणी किसानों की संख्या **55%** है, जो ऋणी किसानों से अधिक है।
स्थानीय आपदा हेतु प्रावधान	पिछली योजना में स्थानीय आपदा के लिए कोई प्रावधान नहीं था, जिसके कारण यदि एक या उससे कम किसानों की फसलें नष्ट हो जाती थीं, तो उन्हें मुआवजा नहीं मिलता था।	PMFBY में स्थानीय आपदा का भी प्रावधान है, जिसके कारण यदि एक भी किसान की फसल को नुकसान होता है तो उसे मुआवजा भुगतान मिलता है।
बीमा कंपनियों की भागीदारी:	पिछली योजना में, यह योजना पूरे देश में केवल एक बीमा कंपनी द्वारा कार्यान्वित की गई थी	कुल **20** बीमा कम्पनियों, जिनमें **5** सार्वजनिक और **15** निजी हैं, को पैनल में शामिल किया गया है।
टेक्नालॉजी का उपयोग:	पिछली योजना में फसल नुकसान की गणना केवल पारंपरिक तरीके से की जाती थी	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी उन्नत तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

अनुबंध

PMFBY और RWBCIS: 30 जून, 2025 तक की स्थिति के अनुसार वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान प्रीमियम में किसानों की हिस्सेदारी, भुगतान किए गए दावों और लाभान्वित किसान आवेदनों का राज्य-वार विवरण

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	प्रीमियम में किसानों का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे	लाभान्वित किसान आवेदनों की संख्या
	(रुपए करोड़ में)		
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.03	0.02	132
आंध्र प्रदेश	32.5	546.7	6,29,229
असम	19.4	531.5	7,55,667
छत्तीसगढ़	1,031.0	3,554.4	81,90,463
गोवा	0.02	0.01	71
हरियाणा	1,439.0	5,858.8	61,40,350
हिमाचल प्रदेश	141.2	362.5	5,60,818
जम्मू एवं कश्मीर	41.2	116.9	2,14,692
झारखंड	0.3	-	36,977
कर्नाटक	1,584.2	9,513.3	72,08,551
केरल	50.3	460.6	3,08,833
मध्य प्रदेश	3,679.1	12,380.2	2,12,76,949
महाराष्ट्र	2,607.7	24,596.5	3,66,52,082
मणिपुर	1.8	5.1	9,554
मेघालय	0.1	23.6	33,539
ओडिशा	450.5	2,541.3	83,47,096
पुदुचेरी	0.0	8.5	32,644
राजस्थान	4,568.2	16,474.2	3,78,38,088
सिक्किम	0.4	0.0	64
तमिलनाडु	807.4	5,577.1	1,13,58,988
त्रिपुरा	2.1	9.6	1,15,930
उत्तर प्रदेश	1,461.6	3,229.1	59,77,880
उत्तराखंड	257.0	965.7	6,85,032
कुल	**18,175.0**	**86,755.8**	**14,63,73,629**

PMFBY और RWBCIS: महाराष्ट्र के जलगांव और पालघर जिलों में 2020-21 से 2024-25 तक प्रीमियम में किसानों की हिस्सेदारी, भुगतान किए गए दावे और लाभान्वित किसान आवेदनों का विवरण 30 जून, 2025 तक

जिला (महाराष्ट्र)	प्रीमियम में किसानों का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे	लाभान्वित किसान आवेदनों की संख्या
	(रुपए करोड़ में)		
जलगांव	313.1	1632.8	10,27,813
पालघर	19.3	54.3	42,798
कुल	**223.3**	**996.9**	**20,66,137**
